
भारतीय सर्वेक्षण विभाग SURVEY OF INDIA



दूरभाष Telephone: कार्यालय Office: 2652403



अंकीय मानचित्रण केन्द्र DIGITAL MAPPING CENTRE

17 E.C. Road , GBO Compound, DEHRA DUN-248001 (Uttarakhand)

कार्यालय आदेश सं0 ०८, ./17-वाई-20 दिनांकळ जनवरी, 2017 OFFICE ORDER NO. ०८/17-Y-20 DATED&JANUARY, 2017

विषय:

पारदर्शी अधिकारी की नियुक्ति के संबंध में / APPOINTMENT OF TRANSPARENCY OFFICER - REGARDING.

संदर्भ / Ref:

Incharge, Website Management System, IT Cell, Office of Surveyor General of India, Dehradun's e-mail, dated 02-12-2016.

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19(8)(0) के तहत केन्द्रीय सूचना आयोग को प्रदस्त शक्तियों के आधार पर आयोग ने लोक प्राधिकारी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की, धारा के तहत निर्धारित दायित्वों के अंतर्गत प्रत्येक गतिविधि के लिए निर्धारित समय सीमा के अंदर ही पूरा करने का निर्देश दिया है / As per the powers vested in the Central Information Commission by Section 19(8)(a) of the RTI Act. 2005, the Commission has given direction to the Public Authority to set out the obligations in Section 4 of the RTI Act 2005 to be discharged by the Public Authority as per the time limits set out against each activity.

इस अधिनियम की धारा 4 में निर्धारित वायित्वों के कार्यान्वयन के लिए आयोग ने पुनः लोक प्राधिकारियों को किसी एक वरिष्ठ अधिकारी को पारवर्शी अधिकारी नामित करने का निर्देश दिया है। पारवर्शी अधिकारी का मुख्य कार्य का सार है - सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के प्रावधानों के प्रभावी एवं सिक्य कियान्वयन द्वारा लोक प्राधिकारी में संस्थानिक पारवर्शिता को प्रोत्साहित करना। इसमें सिम्मिलित है - प्रभावी अभिलेख प्रबंधन, अभिलेखों का अंकीयकरण, नेटवर्किंग तथा वृद्धिशील सिक्य प्रकटीकरण। साथ ही सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्राप्त आवेदनों के निष्पादन में उच्च प्राथमिकता एवं गुणवता को सुनिश्चित करना / For the purpose of implementation of these obligations, as set out in Section 4 of this Act, the Commission has further given direction to all the Public Authorities to designate one of their Senior Officers as Transparency Officer. The main fuction of the Transparency Officer may be summarized as to promote institutional transparency within the public authority through proactive and effective implementation of the provisions of Section 4 of the RTI Act 2005. These includes effective record management, digitization of records, networking and incremental proactive disclosures. At the same time to ensure high priority and quality in disposing off the RTI applications.

Contd..2..

तद्नुसार, श्री आनन्द कुमार, अधिकारी सर्वेक्षक को अंकीय मानचित्रण केन्द्र, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, देहरादून का पारदर्शी अधिकारी (ट्रांसपेरेंसी आफिसर) नामित किया जाता है / Accordingly, Shri Anand Kumar, Officer Surveyor is designated as Transparency Officer of Digital Mapping Centre, Survey of India, Dehradun.

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा / The above order will come in force with immediate effect.

(आर**0के0 मी**णा / R.K. MEENA) निदेशक / Director

अंकीय मानचित्रण केन्द्र / Digital Mapping Centre

वितरण / Distribution

- . 1 भारत के महासर्वेक्षक, देहरादून/ The Surveyor General of India, Dehradun.
- 2 सभी अपर महासर्वेक्षक /निदेशक (ई-मेल के दवारा) All Addl. S.Gs/Directors (through e-mail)
- 3 प्रभारी, वेबसाइट प्रबंधन प्रणाली, सूचना प्रौद्योगिकी प्रकोष्ठ, भारत के महासर्वेक्षक का कार्यालय, देहरादून को उनके ई-मेल दिनांक 02-12-2016 के संदर्भ में (ई-मेल के द्वारा) Incharge, Website Management System, IT Cell, Office of Surveyor General of India, Dehradun w.r.t. his e-mail, dated 02-12-2016 (through e-mail admn.soi@gov.in).
- 4 श्री आनन्द कुमार, अधिकारी सर्वेक्षक को अनुपालनार्थ/ Shri Anand Kumar, Officer Surveyor for compliance.
- 5 सभी अनुभाग अधिकारी / All Section Officer
- 6 गार्ड फाइल / 11 जी (कार्यालय आदेश) / Guard File/11-G (Office Order)
- 7 परिचालन प्रति / सूचना पट्ट / Girculation Copy/Notice Board